न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 230/2019
GCMS NO. : 2019/00282

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी– तालकिया तहसील जैतारण जिला पाली राज०		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजू:.16/12/2019

उपस्थितः– 1. श्री शाकीर हुसैन, श्री अब्दुल कलाम, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार राज०।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/06/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा फुलमाल पटवार हल्का फुलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण में खसरा संख्या 3 रकबा 05–15 बीघा, खसरा संख्या 6 रकबा 04–10 बीघा, खसरा संख्या 9 रकबा 2–05 बीघा, खसरा संख्या 11 रकबा 2–08 बीघा, खसरा संख्या 12 रकबा 3–11 बीघा, खसरा संख्या 14 रकबा 3–08 बीघा, खसरा संख्या 2 रकबा 12–07 बीघा व सरहद मौजा तालकिया पटवार हल्का पिपलिया खुर्द भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण जिला पाली में ख़सरा संख्या 214 रकबा 7–05 बीघा, खसरा संख्या 190 रकबा 2–05 बीघा, खसरा संख्या 215 रकबा 4–00 बीघा, खसरा संख्या 204 रकबा 00–02 बीघा, खसरा संख्या 205 रकबा 7–04 बीघा, खसरा संख्या 206 रकबा 6–17 बीघा, खसरा संख्या 207 रकबा 1–06 बीघा, खसरा संख्या 216 रकबा 00–05 बीघा, खसरा संख्या 217 रकबा 25–19 बीघा खसरा संख्या 226 रकबा 00–04 बीघा, खसरा संख्या 227 रकबा 15–17 बीघा, खसरा संख्या 208 रकबा 01–07 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल जमाबंदीया साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण में वा[illegible] घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम सत्यदेवसिंह [illegible] लक्ष्मणसिंह के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिए गए। जबकि वादी का [illegible] नाम एवं दस्तावेजी नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिह है जो वादी के पहचान कार्ड, [illegible] कार्ड, आधार [illegible] आदि में भी वादी का नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है। जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

दपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है। तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 25.11.2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरुस्त करवाने का कथन किया जिसके संबंध में वादी की पैतृक पुश्तैनी सम्पति में उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। सभी नामान्तरणकरण की प्रतियां साथ पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादी अपना सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिह से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र रेकर्ड दुरुस्ती बाबत् श्रीमान के समक्ष पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की इंस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए सहखातेदार काश्तकार को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रवितादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर है इनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वाद करने का मकसद विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25.11.2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम फूलमाल व तालकिया तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है राजस्व मौजा फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 3, 6, 9, 11, 12, 14, 2 एवं ग्राम तालकिया के खसरा संख्या 190, 204 से 208, 214 से 217, 226, 227 कृषि भूमि आई हुई है जो कि सत्यदेवसिंह पुत्र लिछ्मणसिंह की सहखातेदारी भूमि आयी हुई है। उक्त इन्द्राज जरिए नामान्तरण विरासत लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के विरासत नामान्तरण द्वारा [illegible] हुआ है जो कि आंदिनांक जारी है वादी का सही नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह है कि सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सत्यदेवसिह पुत्र लक्ष्मणसिह दर्ज है उक्त इन्दाज विरासत नामान्तरण से हुआ है किन्तु वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह है जिसका सही इन्द्राज का आदेश माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। शहादतवादी पेश नही करना चाहते है, अतः शहादतवादी अवसर बंद किया जाता है। बहस वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैराकार की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की ग्राम फुलमाल तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3, 6, 9, 11, 12, 14, 2 एवं ग्राम तालकिया के खसरा संख्या 190, 204 से 208, 214 से 217, 226, 227 में वादी अपने हक हिस्सेनुसार काश्तकार एवं खातेदार दर्ज है। वादी के पिता लक्ष्मणसिह पुत्र शिवनाथसिंह के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण द्वारा वादी का लाड प्यार एवं घर की बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाला नाम सत्यदेवसिंह पुत्र लिछ्मणसिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिह है। अतः राजस्व रेकर्ड में दर्ज रोंग एन्ट्री/ मानवीय भूल को दुरूस्त कर वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3, 6, 9, 11, 12, 14, 2 एवं ग्राम तालकिया के खसरा संख्या 190, 204 से 207, 216, 217, 226, 227 में वादी सत्यदेवसिंह पुत्र लिछ्मणसिंह के नाम से सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह है जो कि सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी दर्ज है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ग्राम फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खसरा नम्बर 3, 6, 9, 11, 12, 14, 2 एवं ग्राम तालकिया के खसरा संख्या 190, 204, 205, 206, 207, 216, 217, 226, 227 की जमाबंदी में सत्यदेवसिंह पुत्र लिछ्मणसिंह जातियान- पुरोहित बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्वयं के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सतीश पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित अंकित है तथा वादी द्वारा 50 रूपयें के स्टाम्प पेपर पर [illegible]दित शपथ पत्र पर अपना सही एवं वास्तविक नाम सतीश उर्फ सत्यदेव [illegible] जाति- राजपुरोहित होना स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अतः उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर ह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार सत्यदेवसिंह पुत्र लिछमणसिंह का सही वं दस्तावेजी नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह है तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत ांच रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है।

अतः वाद वादी भलीभांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार योग्य है तथा वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सत्येदवसिंह पुत्र लिछमणसिंह को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह दर्ज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 3, 6, 9, 11, 12, 14, 2 एवं ग्राम तालकिया तहसील जैतारण के खसरा संख्या 190, 204, 205, 206, 207, 216, 217, 226, 227 की कृषि भूमि के भू अभिलेख में वादी के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ***"सत्येदवसिंह पुत्र लिछमणसिंह"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं दस्तावेजी नाम **"सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह"** दर्ज करते हुये, वादी को वादग्रस्त आराजी का अपने हक हिस्से तक खातेदार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वांदी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी– तालकिया तहसील जैतारण जिला पाली राज०

1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0स0:– 230/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, श्री अब्दुल कलाम, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसील जैतारण सरकारी पैराकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमाज तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 3, 6, 9, 11, 12, 14, 2 एवं ग्राम तालकिया तहसील जैतारण के खसरा संख्या 190, 204, 205, 206, 207, 216, 217, 226, 227 की कृषि भूमि के भू अभिलेख में वादी के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ***''सत्येदवसिंह पुत्र लिछ्मणसिंह''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं दस्तावेजी नाम **''सतीश पुत्र लक्ष्मणसिंह''** दर्ज करते हुये, वादी को वादग्रस्त आराजी का अपने हक हिस्से तक खातेदार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **29/06/2022** को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	1	
महनताना वकील		/	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02	-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		/	मुत्फरिक		
मिजानः-	07	-00	मिजानः-	— Nil —	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:29 IST
Reason: SelfAttested